न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास

प्रकरण संख्या : 377 / 14

रामराज उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रा0 निवासी खेडली कन्दाफल हाल मुकाम 3 / 372 रंगबाडी, कपिल किराना स्टोर के पास, जय अम्बे नगर कोटा

— वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रा0 निवासी खेडली कन्दाफल
2. विशम्भर दयाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रा0 निवासी खेडली कन्दाफल तहसील सांगोद जिला कोटा
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 आ0टी0एक्ट

उपस्थित — 1. श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट वादी
2. श्री रामेश्वर दयाल गौतम व श्री गिरिजाशंकर गौतम एडवोकेट प्रतिवादी

—::निर्णय ::—

दिनांक : 04.01.2017

वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत दावा न्यायालय में इस आशय का पेश कर निवदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 सगे भाई होकर एक ही पिता की संताने है। वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार क्षेत्र देवली तहसील कनवास के खाता सं0 69 नई की ख0नं0 51 की 3.56 हैक्टर, ख0नं0 54 की 0.01 हैक्टर, ख0नं0 55 की 3.55 हैक्टर, ख0नं0 56 की 3.56 हैक्टर, ख0नं0 163 की 0.06 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 5 रकबा 10.74 हैक्टर कृषि भूमि है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के नाम दर्ज है, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 का हिस्सा 1 / 3, 1 / 3, 1 / 3 है। वादी उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से को अलग अलग करवाने व काश्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य अलग अलग न होने से भूमि काश्त करने में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रतिवादी कम 1 व 2 कुछ वर्षों पूर्व से उपरोक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया हुआ है, जिसके फलस्वरुप वादी ख0नं0 56 की 3.56 हैक्टर, ख0नं0 54 की 0.01 हैक्टर कृषि भूमि तथा प्रतिवादी कम 1 ख0नं0 55 की 3.55 हैक्टर व प्रतिवादी कम 2 ख0नं0 51 की 3.56 हैक्टर कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग में होकर कब्जे काश्त में है। वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य यह भी आपसी सहमति से तय हुआ कि ख0नं0 163 की 0.06 हैक्टर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त रुप से खाते व कब्जे में रहेगी। वादी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को उनके हिस्से में आयी कृषि भूमियों के विकास कार्य आदि करने में परेशानी का सामना करना पडता है तथा वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 से विधिवत रुप से आपसी सहमति से किये गये विभाजन के अनुसार खाते पृथक पृथक करवाकर लगान पृथक पृथक करवाने को कहा, परन्तु उन्होनें वादी को मात्र

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

1/3, 1/3व1/3 है।

आश्वासन दिये, किन्तु खाता विभाजन करवाने के कार्यवाही नहीं की, ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दावा पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अतः दावे में अंकित आपसी सहमति से किये गये विभाजन के अनुसार कृषि भूमियों का खाता विभाजन कर इस आशय की डिक्री फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 की ओर से दिनांक 22.12.2011 को जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया व प्रतिवादी कम 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाबदावे में वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकिन संबंध स्वीकार करते हुए सगे भाई होना स्वीकार किया तथा वाद में वर्णित कृषि भूमि विरासत में प्राप्त होना बताया तथा यह भी स्वीकार किया कि विवादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा होकर 1/3 –1/3 हिस्से के अधिकारी हैं तथा दावा व कब्जे अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया, साथ ही यह भी निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी कम 1 को अपने हक एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 55 में आने जाने का रास्ता जो पुराने कुएं के पास से होकर जाता है उसमें वादी व प्रतिवादी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें, इस हेतु वादी व प्रतिवादी कम 2 को पाबंद किया जावे।

जवाबदावा प्राप्त होने के पश्चात् तनकीयात कायम की गई। जिनका विवेचन निम्न प्रकार है :—

1. आया ग्राम कन्दाफल के खाता सं0 69 की 5 किता की 10.74 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के संयुक्त खाते में दर्ज है, जिसका आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया हुआ है व इसी प्रकार मौके पर काबिज काश्त है। — वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भारी वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता सं0 69 में विशम्भर दयाल, रामराज, राजेन्द्र कुमार पुत्रान धन्नालाल जाति ब्रा0 के खाते में ख0नं0 51 की 3.56 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, ख0नं0 54 की 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0चाह, ख0नं0 55 की 3.55 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, ख0नं0 56 की 3.56 हैक्टर, ख0नं0 163 की 0.06 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 10.74 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है तथा हिस्सा राजेन्द्र कुमार पर HKGB देवली का रहन रु0 85000/— में व हिस्सा विशम्भर दयाल पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा कोटा का रहन 160000/— में रहन का नोट अंकित है। वाद पत्र एवं जवाबदावा प्रतिवादीकम 1 से यह सिद्ध होता है कि वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के द्वारा मौके पर आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है। इस प्रकार वादी द्वारा तनकी नं0 1 रेकार्ड अनुसार प्रमाणित पाया जाने के फलस्वरुप यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादी संयुक्त खाते में दर्ज आराजी में से ख0नं0 56 की 3.56 हैक्टर व ख0नं0 54 की 0.01 हैक्टर भूमि स्वयं के खाते, ख0नं0 55 की 3.55 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते व ख0नं0 51 की 3.56 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी कम 2 के खाते में दर्ज किये जाने तथा ख0नं0 163 की 0.06 हैक्टर भूमि को संयुक्त रुप से खाते में दर्ज किये जाने बाबत विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। — वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भारी वादी पर है। इस तनकी के कम में वाद पत्र व प्रतिवादी कम 1 के जवाबदावे के अनुसार वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 संयुक्त खातेदार होकर मौका एवं रेकार्ड अनुसार 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अतः मौका एवं रेकार्ड के कम में यह तनकी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के पक्ष में संयुक्त रुप से तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

3. आया वादी विभाजन के माध्यम से प्रतिवादी कम 1 के अपने खेत ख0नं0 55 में जाने का रास्ता बन्द करना चाहता है। ख0नं0 55 में जाने का रास्ता सुनिश्चित किया जाकर विभाजन किया जा सकता है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भारी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में ख0नं0 55 पर आने जाने का रास्ता पुराने कुएं के पास जाना बताते हुए रास्ता पूर्वानुसार कायम रहे की मांग की है, किन्तु प्रतिवादी कम 1 ने अपने इस कथन के प्रमाण स्वरुप कोई साक्ष्य या रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु वादी ने अपने बयान दिनांक 07.09.2016 में व जिरह दिनांक 07.12.2016 में प्रतिवादी की रास्ते की मांग को स्वीकार किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. दादरसी

वकील वादी व प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में दावे व बयानों के तथ्यों को दोहराते हुए रेकार्ड एवं मौके पर कब्जा अनुसार तथा रास्ते का हक कायम रखते हुए विभाजन किया जाने का निवेदन किया।

अतः दावा वादी स्वीकार कर दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खेडली कन्दाफल की ख0नं0 51 की 3.56 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, ख0नं0 54 की 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0चाह, ख0नं0 55 की 3.55 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, ख0नं0 56 की 3.56 हैक्टर, ख0नं0 163 की 0.06 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 10.74 हैक्टर जो कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के संयुक्त खाते में दर्ज है में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/3, 1/3 व 1/3 कायम किया जाता है तथा रेकार्ड में दर्ज रहन पूर्वानुसार संबंधित के हिस्से पर पूर्वानुसार दर्ज रहेगा साथ ही प्रतिवादी कम 1 राजेन्द्र कुमार के हिस्से में आई भूमि पर आने जाने का रास्ता पुराने कुंए के पास होकर जाना जो दावे व बयानों में बताया है पूर्वानुसार चालू रहेगा। उपरोक्त विभाजन रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के अनुसार तथा मौका एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए यथासंभव वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से उनकी उपस्थिति में मौके पर तैयार कर एवं इसमें रास्ते को दर्शाते हुए तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1/3, 1/3व 1/3 है।

प्रारम्भिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. रामराज कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी खेडली कन्दाफल हाल मुकाम 3/372 रंगबाड़ी कपिल किराना स्टोर के पास जय अम्बे नगर कोटा। (वादी)

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी खेडली कन्दाफल तहसील कनवास।
2. विशम्भर दयाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्रा0 निवासी खेडली कन्दाफल त0 कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

(प्रतिवादी)

–::वाद बाबत विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट::–

मुकदमा नं. 377/14 सन 2014 तारीख फैसला 04.01.2017 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन **R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी श्री अशोक जैन एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदई व **श्री रामेश्वर दयाल गौतम व श्री गिरिजाशंकर गौत्तम एडवोकेट** प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है कि वाद ग्रस्त **आराजी ग्राम खेडली कन्दाफल की खसरा नंबर 51 की 3.56 है0, किस्म चाही तृतीय,** खसरा नंबर 54 की 0.01 है0, किस्म गै0 मु0 चाह, खसरा **नंबर 55 की 3.55 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, खसरा** नंबर 56 की 3.56 है0, खसरा नंबर 163 की 0.06 है0, **कुल किता 05 रकबा 10.74 हैक्टर जो कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम** 01 व 02 के संयुक्त खाते में दर्ज है में **वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का हिस्सा** 1/3, 1/3, 1/3 कायम किया जाता है, तथा रेकार्ड में दर्ज **रहन पूर्वानुसार संम्बधित के हिस्से पर पूर्वानुसार दर्ज** रहेगा साथ ही **प्रतिवादी क्रम 01 राजेन्द्र कुमार के हिस्से में आई भूमि पर आने जाने का** रास्ता पुराने कुंए के पास होकर जाना बताया है जो दावे व बयानों में **बताया है पूर्वानुसार चालू रहेगा।** उपरोक्त विभाजन रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के अनुसार तथा **मौका एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए यथासंभव वादी** व प्रतिवादीगण की सहमति से उनकी उपस्थिति में **मौके पर तैयार कर एवं इसमें रास्ते को दर्शाते हुए** तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। तदानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत .. X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.01.2017 माह जनवरी 2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)

श्री लहरी कुमार जैन (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा